

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 312/2024

दायर दिनांक 02.09.2024

वादी

1. बिलाल खां पुत्र श्री जलाल खां उम्र 60 साल जाति शैरानी निवासी सुफिया मौहल्ला, शैरानी आबाद तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

प्रतिवादीगण

1. अजीज खां पुत्र जलाल खां
2. मोहम्मद रफीक पुत्र जलाल खां
3. मकसुदा पुत्री जलाल खां
4. लोड़की पुत्री जलाल खां
5. जोरा पुत्री जलाल खां
6. खलील खां पुत्र सायरा पत्नी अजीज खां
7. फारुक अहमद पुत्र सायरा पत्नी अजीज खां
8. मेहबुब खां पुत्र सायरा पत्नी अजीज खां
9. अयुब खां पुत्र सायरा पत्नी अजीज खां
10. अब्दुल मजीद उर्फ अली मोहम्मद पुत्र सायरा पत्नी अजीज खां
11. लाल मो0 पुत्र सायरा पत्नी अजीज खां
12. सुगरी पुत्र सायरा पत्नी अजीज खां
13. फातमा पुत्री सायरा पत्नी अजीज खां
14. कलसुम पुत्री सायरा पत्नी अजीज खां
15. रुकिया पुत्री सायरा पत्नी अजीज खां
16. रजिया पुत्री सायरा पत्नी अजीज खां
17. जाकिर हुसैन पुत्र धनी बेगम पत्नी भूर खां
18. शहादत अली पुत्र धनी बेगम पत्नी भूर खां
19. मोहम्मद हुसैन पुत्र धनी बेगम पत्नी भूर खां
20. शेर मोहम्मद पुत्र धनी बेगम पत्नी भूर खां
21. रहिसा पुत्री धनी बेगम पत्नी भूर खां
22. मोमिना पुत्री धनी बेगम पत्नी भूर खां
23. रजिया पुत्री धनी बेगम पत्नी भूर खां
24. सुप्यार उर्फ सुफिया पत्नी अली मो0 पुत्री धनी बेगम पत्नी भूर खां
25. मोसीम अली पुत्र अली मो0 पुत्र धनी बेगम पत्नी भूर खां
26. मो0 असलम पुत्र अली मो0 पुत्र धनी बेगम पत्नी भूर खां
27. जमील खां पुत्र चांद खां
28. मजीद खां पुत्र चांद खां
29. छोटु खां पुत्र चांद खां
30. सुल्तान खां पुत्र चांद खां
31. अमराव पुत्री चांद खां
32. फातमा पुत्री चांद खां
33. रमज्जा बेगम पुत्री चांद खां
34. फातमा उर्फ सोनी पुत्री चांद खां
35. मो0 रफिक पुत्र राबिया पत्नी रसीद अहमद
36. अ0 लतीफ पुत्र राबिया पत्नी रसीद अहमद
37. मसरूफ शैरानी पुत्र राबिया पत्नी रसीद अहमद
38. सिकन्दर खां पुत्र राबिया पत्नी रसीद अहमद
39. मो0 आरिफ पुत्र राबिया पत्नी रसीद अहमद
40. मो0 इरफान पुत्र राबिया पत्नी रसीद अहमद
41. रहिसा पुत्री राबिया पत्नी रसीद अहमद
42. रहुफा पुत्री राबिया पत्नी रसीद अहमद

बनाम

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

43. सुमिया पुत्री राबिया पत्नी रसीद अहमद
44. सुरिया पुत्री राबिया पत्नी रसीद अहमद
45. समीम पुत्री राबिया पत्नी रसीद अहमद  
समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी  
आबाद तहसील छोटी खाटु जिला  
डीडवाना-कुचामन राज0।
46. यूकों बैंक, शैरानी आबाद
47. श्रीमान् तहसीलदार, छोटी खाटू

दावा बाबत्  
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53,88,188 R.T.Act.

व्यस्थित:-

1. श्री शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री मो. रफिक प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 12, 15 ता 17, 19, 21 तस 26, 27 ता 34, 36 ता 45

--: अन्तिम निर्णय :-

दिनांक 11.08.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा शैरानी आबाद पटवार हल्का शैरानी आबाद, भू. अ. नि. क्षेत्र खाटू खूर्द तहसील छोटी खाटु के खेत खसरा सं. 815 रकबा 0.1800 हैक्टे0, खसरा सं. 816 रकबा 0.1000 है0, खसरा सं0. सं. 817 रकबा 4.0700 है0 व खसरा सं0. सं. 109 रकबा 2.6000 है0 भूमि व मौजा डाबगांव, पटवार हल्का लोरोली कलां भू. अभि. नि. केराप तहसील छोटी खाटु के खेत खसरा सं0 233 रकबा 3.8300 है0 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 24.04.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटीखाटू ने अपने पत्रांक: भू.अ./2025/1269 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटीखाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटीखाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/1269 दिनांक 24.07.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

--: आदेश :-

राजस्व ग्राम शैरानी आबाद पटवार हल्का शैरानी आबाद, भू. अ. नि. क्षेत्र खाटू खूर्द तहसील छोटी खाटु के खेत खसरा सं. 815 रकबा 0.1800 हैक्टे0, खसरा सं. 816 रकबा 0.1000 है0, खसरा सं0. सं. 817 रकबा 4.0700 है0 व खसरा सं0. सं. 109 रकबा 2.6000 है0 भूमि व मौजा डाबगांव, पटवार हल्का लोरोली कलां भू. अभि. नि. केराप तहसील छोटी खाटु के खेत खसरा सं0 233 रकबा 3.8300 है0 की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2025/1269 दिनांक

*Wkes*  
सुपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

24.07.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये प पत्रांक: भूअ./2025/1269 दिनांक 24.07.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

*Wks*  
(विष्णु खण्ड अधिकारी.)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

*Wks*  
(विष्णु खण्ड अधिकारी.)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना